



अष्टादश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या—17

बुधवार, दिनांक—26 फरवरी, 2026 ई०।

माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 01:00 बजे अपराह्न तक।

[1] प्रश्नकाल :-

- i. 05 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
- ii. 11 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
- iii. 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ट।
- iv. 01 तारांकित प्रश्न संख्या—2207 जल संसाधन विभाग में स्थानांतरित।
- v. 01 तारांकित प्रश्न संख्या—2208 पंचायती राज विभाग में स्थानांतरित।
- vi. 01 तारांकित प्रश्न संख्या—2210 पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरित।
- vii. 273 तारांकित प्रश्न अनागत।

प्रश्नकाल के दौरान माननीय मुख्यमंत्री एवं आसन द्वारा सदन की ओर से माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, श्री अशोक चौधरी को उनके जन्मदिन की बधाई दी गयी।

[2] कार्यस्थगन प्रस्ताव :-

माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार, श्री कुमार सर्वजीत, श्री अविनाश मंगलम, श्री गौतम कृष्ण एवं श्री अभिषेक रंजन द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गयी।

आसन की अनुमति प्राप्त कर माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को पढ़ा गया।

[3] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- i. माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा—395 के तहत पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2023—24 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखा गया।
- ii. माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा—84 के तहत बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली, 2025 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया, जो चौदह दिनों तक सदन पटल पर रहेगा।

- iii. माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के तहत बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमनों के संकलन के भाग-1 एवं 2 की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया।
- iv. माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा आनन्द विवाह (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा-6(4) के तहत बिहार आनन्द कारज विवाह निबंधन नियमावली, 2025 की प्रति को सदन पटल पर रखा गया।
- v. माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-91(2) के तहत बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023 एवं बिहार दस्तावेज लेखक अनुज्ञापि (संशोधन) नियमावली, 2025 की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया।
- vi. माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा भारत स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-76(3) के तहत बिहार ई-स्टाम्प शुल्क (एजेन्सी द्वारा क्रियान्वयन) नियमावली, 2020 की प्रति को सदन पटल पर रखा गया।
- vii. माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के परिणाम बजट, बाल कल्याण बजट, जेन्डर बजट एवं हरित बजट पुस्तिकाओं तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

[4] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचना के अंतर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया:-

- | | |
|--|----------------------------------|
| (1) श्रीमती दीपा कुमारी | (2) श्री राहुल कुमार |
| (3) श्री अमित कुमार | (4) श्री उदय कुमार सिंह |
| (5) श्रीमती सोनम रानी | (6) श्रीमती बिनीता मेहता |
| (7) श्री रंजन कुमार | (8) श्री मंजीत कुमार सिंह |
| (9) श्री बीरेन्द्र कुमार | (10) श्री मिथिलेश तिवारी |
| (11) श्री तारकिशोर प्रसाद | (12) श्री प्रमोद कुमार सिंह |
| (13) श्री मांजरीक मृणाल | (14) श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी |
| (15) श्री साम्प्रद वर्मा | (16) श्री सियाराम सिंह |
| (17) श्री रामचन्द्र प्रसाद | (18) श्री रोहित पाण्डेय |
| (19) श्री कुमार शैलेन्द्र | (20) श्रीमती श्वेता गुप्ता |
| (21) श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह | (22) श्री मुरारी प्रसाद गौतम |
| (23) श्री विमल राजवंशी | (24) श्रीमती ज्योति देवी |
| (25) श्री राज कुमार राय | (26) श्री नीरज कुमार सिंह |
| (27) श्री संजय कुमार सिंह | (28) श्री भरत बिन्द |
| (29) श्री पप्पु कुमार वर्मा | (30) श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव |
| (31) श्री विजय कुमार खेमका | (32) सुश्री मैथिली ठाकुर |
| (33) श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह | (34) श्री जनक सिंह |
| (35) श्री बबलू कुमार | (36) श्री बशिष्ठ सिंह |
| (37) श्रीमती संगीता देवी | (38) श्री राजू तिवारी |
| (39) श्री गौतम कृष्ण | (40) श्रीमती निशा सिंह |
| (41) श्री आनन्द मिश्र | (42) श्री आसिफ अहमद |
| (43) श्रीमती देवती यादव | (44) श्रीमती अश्वमेध देवी |
| (45) श्री महेन्द्र राम | (46) श्री रितुराज कुमार |
| (47) श्री सुभाष सिंह | (48) श्री भीषम प्रताप सिंह |

(49) श्री अभिषेक रंजन	(50) श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह
(51) श्री रोमित कुमार	(52) श्री पुरन लाल दुङ्ग
(53) श्री नन्द किशोर राम	(54) श्री अरूण सिंह
(55) श्री राहुल कुमार सिंह	(56) श्री बाबुलाल शौर्य
(57) श्री सरवर आलम	(58) श्री दामोदर रावत
(59) श्री विनय बिहारी	(60) श्री संदीप सौरम
(61) श्री शुभानंद मुकेश	

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत शेष शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है तथा इसके लिखित उत्तर के लिए इसे संबंधित विभाग को भेज दिया जाय।

[5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

- (i) माननीय सदस्य, श्री विनय कुमार चौधरी, श्री उपेन्द्र प्रसाद एवं अन्य छः समासदों का पथ निर्माण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री विनय कुमार चौधरी द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा इसका उत्तर दिया गया।
- (ii) माननीय सदस्या, श्रीमती छोटी कुमारी का नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्या द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02:00 बजे अपराह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[6] गैर सरकारी संकल्प

- (i) 03 गैर सरकारी संकल्प स्वीकृत।
- (ii) 59 गैर सरकारी संकल्प वापस।

गैर सरकारी संकल्प संख्या-13 के निस्तारण के पश्चात् माननीय अध्यासी सदस्य, श्री रत्नेश सादा ने आसन ग्रहण किया।

गैर सरकारी संकल्प संख्या-39 के निस्तारण के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आसन ग्रहण किया गया।

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत शेष गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है और सदन की सहमति से इसे गैर सरकारी संकल्प समिति के विचारार्थ सुपुर्द किया जाता है।

[7] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 60 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक-26 फरवरी, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक-25.02.2026

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।